न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां ।
पीठासीन अधिकारी – गोपाल परिहार आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या – 32/2016
वादी –

1 गोपालराम पुत्र श्री नथाराम
2 नाढु पत्नि श्री नथाराम
3 प्रताप पुत्र श्री कुशलाराम
जाति लोहार निवासी जाखण
तहसील ओसियां जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

प्रतिवादी –

1 नारायणराम पुत्र श्री दुर्गाराम
2 राजुराम पुत्र श्री दुर्गाराम
3 पन्नाराम पुत्र श्री दुर्गाराम
4 किशनाराम पुत्र श्री दुर्गाराम
5 किशुदेवी पत्नि श्री दुर्गाराम
जाति जाट निवासी जाखण
तहसील ओसियां जिला जोधपुर ।
6 छोटाराम पुत्र श्री नथाराम
7 दनाराम पुत्र श्री नथाराम
8 भिखारी पुत्र श्री कुशलाराम
9 मदनाराम पुत्र श्री कुशलाराम
जाति लोहार निवासी जाखण
तहसील ओसियां जिला जोधपुर ।

उपस्थिति –

1 श्री चन्दनसिंह भाटी अधिवक्ता वादी की ओर से ।
2 श्री जगदीश चन्द चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.एक्ट. 1955

– निर्णय – दिनांक – 9/8/18

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाखण की सरहद मे खसरा नम्बर 1049/1 रकबा 31 बीघा 10 बीस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 6 से 9 की खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि आई हुई है । ग्राम जाखण के खसरा नम्बर 1038 रकबा 148 बीघा 8 बीस्वा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की आई हुई है । वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की भूमि के बीच मे जाखण से खटोड़ा जाने वाली डामर सड़क निकलती है जो तरमीम शुदा है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकल

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित – प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी ओसियां
जिला – जोधपुर

Scanned by CamScanner

साथ मे पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि के बीच मे डामर सडक स्थित है जिसके उतरी तरफ खसरा नम्बर 1038 की भूमि है जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की है तथा डामर सडक के दक्षिणी तरफ की भूमि जो वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है । उक्त सडक की भूमि नक्शा ट्रेश मे दर्शाई अनुसार है । अभी हाल ही मे दिंनाक 10.3.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि जो डामर सडक के दक्षिण मे स्थित है जिस पर निर्माण करने की नीयत से नीवें खोदने के उद्धेश्य से निर्माण कार्य शुरू किया तो वादीगण ने उन्हे ऐसा करने से मना किया तब प्रतिवादीगण ने उस समय निर्माण कार्य से रूक गये तथा भविष्य मे डामर सडक के दक्षिण की तरफ जो वादीगण की भूमि है उस मे निर्माण करके वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी । जब कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है । वादग्रस्त भूमि सडक पर स्थित होने से प्रतिवादीगण सडक पर स्थित कीमती भूमि से वादीगण को बेदखल कर जबरन निर्माण करके कब्जा करना चाहते है जब कि उक्त डामर सडक से दक्षिण की तरफ की भूमि मे प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है और न ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के खातेदारी की भूमि है । प्रतिवादीगण लाठी के बल पर वादीगण की सडक पर स्थित कीमती भूमि से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है जब कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है । वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के मध्य डामर सडक जो नक्शा ट्रेश मे तरमीम की हुई है जिसके दक्षिणी तरफ की भूमि वादीगण की खातेदारी की होने एवं उक्त भूमि पर वादीगण का शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त होने तथा उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त नही होने एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी की नही होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादीगण के पक्ष मे बनता है ।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया । प्रतिवादी की तरफ से वकील श्री जगदीश चन्द चौधरी द्वारा वकालात नामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी की तरफ से जबाब दावा पेश किया जिसमे प्रतिवादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि ग्राम जाखण मे खसरा नम्बर 1038 रकबा 148 रकबा 8 बीस्वा भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा अवश्य ही आयी हुई है । जब कि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1038 के अलावा खसरा संख्या 1038/1288 रकबा 7 बीस्वान्सी आई हुई है । वादीगण ने न्यायालय को गुमराह करने के आशय से उक्त खसरा की भूमि को अपने वाद पत्र मे नही बताया है तथा न ही उक्त खसरा की भूमि की जमाबन्दी पेश की है । वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की भूमि के बीच मे जाखण से खटोडा जाने वाली डामर सडक निकती है जब कि उक्त डामर सडक के दक्षिण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 6 से 9 की खातेदारी भूमि के मध्य प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1038/1288है जिस पर प्रतिवादीगण जबाब देहिता का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि है । वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि बाबत खातेदार भैराराम की ओर से सन् 2003 मे वाद पत्र पेश किया गया था । जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 6 से 9 को भी प्रतिवादी रखा गया तथा उक्त दावा दिंनाक .11.8.2008 को डिकी किया गया जिसमे तत्कालीन खातेदार भैराराम के खसरा नम्बर 1049 के रखा गया तथा वादीगण के पक्ष मे खसरा नम्बर 1049/1 रकबा 31 बीघा 10 बीस्वा भूमि रखी गई । उक्त आदेशानुसार भैराराम की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र मे प्राथमिक डिकी जारी की गई थी जिस अनुसार प्राथमिक डिकी 2.7.2008 को निस्पादित की गई उक्त प्राथमिक डिकी मे भी ग्राम जाखण से खटोडा जाने वाली डामर सडक के दक्षिण दिशा मे खसरा नम्बर 1038/1288 की भूमि अलग से दर्शायी गई है इससे यह साफ जाहिर है कि उक्त खसरा की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 6 से 9 के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि के बीच की भूमि है ।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया । प्रतिवादीगण द्वारा वाद मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही कर पाया और न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य ही पेश किये इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व राजस्व रेकर्ड को नही मानने का कोई कारण नही है इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है । वादीगण के खातेदारी की वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे और न ही किसी अन्य से करावे । तदनुसार अन्तिम डिकी जारी की जावे । खर्चा दावा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे ।

सहायक कलेक्टर, ओसिया

निर्णय आज दिंनाक 18/5/18 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिकी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी–1)

अज अदालत –सहायक कलेक्टर औसिया ।
बइजलास –**रतनलाल रेंगर आर.ए.एस.**

वादी	बनाम **प्रतिवादीगण**
1 गोपालराम पुत्र श्री नराराम 2 माडु पत्नि श्री नराराम 3 प्रताप पुत्र श्री फुसाराम जाति लोहार निवासी जाखण तहसील औसिया जिला जोधपुर	1 नारायणराम पुत्र श्री दुर्गाराम 2 राजुराम पुत्र श्री दुर्गाराम 3 पन्नाराम पुत्र श्री दुर्गाराम 4 लिछमणराम पुत्र श्री दुर्गाराम 5 लिछुदेवी पत्नि श्री दुर्गाराम जाति जाट निवासी जाखण तहसील औसिया जिला जोधपुर । 6 छोटाराम पुत्र श्री नराराम 7 दमाराम पुत्र श्री नराराम 8 गिरधारी पुत्र श्री फुसाराम 9 श्रवणराम पुत्र श्री फुसाराम जाति लोहार निवासी जाखण तहसील औसिया जिला जोधपुर।

मुकदमा नम्बर 32/2016

यह मुकदमाआज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से जगदीश चन्द चौधरी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जाखण की सरहद मे खसरा नम्बर 1049/1 रकबा 31 बीघा 10 बीस्वा वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे और न ही किसी अन्य से करावे । तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे । खर्चा दावा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे । मुवलिग.................................बाबत ....खर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह ....फिसदी सालानाआज की तारीख वसूलयागी तक ....को अदा करे ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिंनाक 23.10.2019 को जारी की गई ।

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिश्नर		
मौका कमिश्नर			बाबत इजराह हुक्मनामा		
जनाब इजराह हुक्मनामा			मुद्धफ[illegible]		
अन्य					
योग			[illegible]		

नोट पर्चा खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे किसी के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, औसिया

सहायक कलेक्टर औसिया

Scanned by CamScanner